

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 228138

पटना, दिनांक 14.04.15

ग्रा.वि.-14(पू0)पू0-02/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

श्री कुन्दन कुमार,
अनुमण्डल पदाधिकारी, मुंगेर।
(तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बी0 कोठी, पूर्णियाँ)

निबंधित

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्णियाँ से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप बी0 कोठी प्रखंड (जिला-पूर्णियाँ) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के ज्ञापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
758.08	₹ 1038569.6

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 758.08 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अतः आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि वसूली की कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,
प्रदीप कुमार
सचिव

65

New Delhi
Dated 27 December, 2005

To

The Secretary,
Rural Development Department,
Government of Bihar,
Patna

SUBJECT : Transition From the SGRY and the NFFWP towards
the implementation of NREGA in Districts identified

5/11/06

Sir/Madam,

The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) will be implemented in select identified Districts in the initial stage (list enclosed). The National Food for Work Programme (NFFWP) and the Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (SGRY) will continue to be implemented in Districts with the Employment Guarantee Scheme (EGS) in the identified Districts. In the identified Districts, the Government of Bihar is working to ensure a smooth transition from SGRY and NFFWP towards NREGA. In the identified Districts, you are requested to ensure that the transition is smooth and that the work is not interrupted.

1. If the NREGA is notified in a region, the existing financial plan for the purpose of demand registration will stand according to the Act and the Guidelines under it. The demand for employment would be met from the ongoing SGRY and the NFFWP works. The funds used will be from SGRY/NFFWP accounts. But the work already done by those who have demanded work under the EGS will be recorded as work given for purposes under NREGA. Section 3 of the Act allows the State Government to notify its EGS. The Act also provides that on the expiry of the SGRY or NFFWP which ever is in force will be deemed to be the action plan for the scheme for the purposes of the Act. For non-NFFWP Districts identified under NREGA, additional funds for carrying up works on NFFWP pattern are being released separately. Rs. 10 lakh for every identified 200 districts is being released for printing of Job Cards and registers prescribed.

Handwritten signature and date: 5/11/06

58
11/06

2. Under the SGRY/NFFWP, works are not opened on demand for employment but according to a plan of infrastructure needs. Once the SGRY/NFFWP works also become instruments for NREGA, they will also absorb labour that is allotted employment on them through NREGA (after registration and Job Card and Demand process is followed). Therefore, during the transition period, SGRY/NFFWP will be employing labour both

Contd...2/-

राज्य सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
द. ब. नं. १०००
पटना

under NREGA and SGRY NFFWP. In this regard, some of the issues are given below that 100 days of employment which is permissible under the Act.

3. The incomplete works under the SGRY NFFWP, if any, will be allowed to be completed upto 30.6.2006 out of the balance funds available with the Districts.

4. Under the NREGA, only cash will be given. As such no foodgrains will be provided. The foodgrains authorization should terminate with the close of this financial year. Lifting of foodgrains authorized during the current year under the SGRY and the NFFWP will not be allowed next year.

5. If employment is allotted on a demand made under NREGA then wage employment should be made in cash only. This is to prevent any possible challenging of the quantum of wages paid.

6. The implementation of works under the SGRY accounts 50% for Gram Panchayats. This is in consonance with the stipulation under the NREGA. The remaining 50% of works under NREGA can be executed by the State departments and other Panchayat bodies. Even under SGRY, the allocation of 50% to District Panchayats and 50% to Intermediate Panchayats also needs the spirit of the Act as regard ability to Panchayats in implementing NREGA. Under the NFFWP implementation, 50% works are under of agencies. In the condition stated in this financial year, 50% of works have not been allocated for execution by the Gram Panchayats. In this regard, it may be intimated that if new works are started this year under the NFFWP, priority may be given to the Gram Panchayats.

7. The SGRY and the NFFWP will be closed with the end of this financial year. There would be a budget head only for the EGS.

8. In light of the above, you are requested to address these issues and issue necessary instructions to the all concerned including the Collectors and other implementing agencies to initiate prompt action accordingly. Action taken in this regard by the State Government may also be intimated to this Ministry.

Yours faithfully,

बिहार सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग

(Anita Sharma)
Joint Secretary

दिनांक 21/5/04 / माउविडटना, दिनांक- 01/वि.वि.40/04

प्रतिलिपि, नदी उप विभाग आयुक्तों को अनुसूचित तहिल

सूचनाय एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

तरकार उप तहिल ।

dist	block	bdo_name	R_Food	Amt/ Present_Add
पुणियाँ	अमौर	श्री मयूख	1210.08	1657809.60
पुणियाँ	अमौर	श्री विजय कुमार	1210.08	1657809.60
पुणियाँ	अमौर	श्री इन्द्रजीत प्रसाद सिंह (बि0कू0से0)	1210.08	1657809.60
पुणियाँ	बी0 कोठी	श्री राजेन्द्र प्र0 सिंह	758.08	1038569.60
पुणियाँ	बी0 कोठी	श्री देवेन्द्र कू0 दर्द	758.08	1038569.60
पुणियाँ	बी0 कोठी	श्री अजीत कुमार	758.08	1038569.60
पुणियाँ	बी0 कोठी	श्री राजेश कुमार	758.08	1038569.60
पुणियाँ	बी0 कोठी	श्री कुन्दन कुमार	758.08	1038569.60
पुणियाँ	बैसा	श्री सुधाशु कू0 चौबे	1568.73	2149160.10
पुणियाँ	बैसा	श्री बदरुद्दी अहमद	1568.73	2149160.10
पुणियाँ	बैसा	श्री विजय कुमार	1568.73	2149160.10
पुणियाँ	बैसा	श्री स्वयंभू प्रिय	1568.73	2149160.10
पुणियाँ	बैसा	श्री अरविन्द कुमार (बि0कू0से0)	1568.73	2149160.10
पुणियाँ	बैसा	श्री आलोक कुमार (2512/99)	1568.73	2149160.10
पुणियाँ	बायसी	श्री घनश्याम झा	788188.4	788188.4
पुणियाँ	बायसी	श्री संजय कू0 भगत	788188.4	788188.4
पुणियाँ	बायसी	श्री शम्बीर अहमद	788188.4	788188.4
पुणियाँ	बायसी	श्री राजीव रंजन प्रभाकर (905)	788188.4	788188.4
पुणियाँ	बायसी	श्री विजय कू0 पांडेय (42बी/90)	788188.4	788188.4
पुणियाँ	बायसी	श्री मनोज कू0 झा	788188.4	788188.4
पुणियाँ	बनमनखी	श्री मुकुल कुमार	11756.14	16105911.8
पुणियाँ	बनमनखी	श्री राजेन्द्र प्र0 सिंह	11756.14	16105911.8
पुणियाँ	बनमनखी	श्री सुभाष चंद्र वर्मा (1033/99)	11756.14	16105911.8
पुणियाँ	भवानीपूर	श्री युगल पंडित	2987.9	4093423
पुणियाँ	भवानीपूर	श्री शैलजीत सिंह	2987.9	4093423
पुणियाँ	भवानीपूर	श्री राजेश झा	2987.9	4093423
पुणियाँ	भवानीपूर	श्री ओम प्रकाश कुमार (बि0कू0से0)	2987.9	4093423
पुणियाँ	डगरुआ	मो0 कामिल अख्तर (833)	788.83	1080697.1
पुणियाँ	डगरुआ	श्री राजीव रंजन प्रभाकर (905)	788.83	1080697.1
पुणियाँ	डगरुआ	श्री मनोज कू0 झा (2308/99)	788.83	1080697.1
पुणियाँ	जलालगढ़	श्री अरुण कुमार	1097.26	1503246.2
पुणियाँ	जलालगढ़	श्री राजदेव सिंह	1097.26	1503246.2
पुणियाँ	जलालगढ़	श्री ऋषिदेव झा (1822/99)	1097.26	1503246.2
पुणियाँ	जलालगढ़	श्री विमल कू0 मंडल (787)	1097.26	1503246.2
पुणियाँ	के0 नगर	श्री विन्देश्वरी मंडल	1013.76	1388851.2
पुणियाँ	के0 नगर	श्री विष्णुदेव प्रसाद	1013.76	1388851.2
पुणियाँ	के0 नगर	श्री संजय कुमार (883)	1013.76	1388851.2
पुणियाँ	के0 नगर	श्री श्रीधर विरुवाल	1013.76	1388851.2

पुणेयाँ	क० नगर	श्री संजय कुमार	1013.76	1388851.2	अनमण्डल पदाधिकारी, अररिया
पुणेयाँ	क० नगर	श्री अभय कुमार सिं (2366/99, 866)	1013.76	1388851.2	वरीय उप समाहर्ता, नालन्दा
पुणेयाँ	क० नगर	श्री अरविन्द कुमार (2194/99)	1013.76	1388851.2	भूमि संधार उप समाहर्ता, गोपालगंज
पुणेयाँ	कसबा	श्री राजदेव सिंह	500.78	686068.6	
पुणेयाँ	कसबा	श्री मनीज कुमार (790)	500.78	686068.6	अनमण्डल पदाधिकारी, बनमनखी (पुणेयाँ)
पुणेयाँ	कसबा	श्री विमल क० मंडल (2224/99, 787)	500.78	686068.6	अनमण्डल पदाधिकारी, सूर्यल
पुणेयाँ	पुणेयाँ पूर्व	श्री विष्णु प्रसाद	1867.45	2558406.5	
पुणेयाँ	पुणेयाँ पूर्व	श्री संजय कुमार	1867.45	2558406.5	
पुणेयाँ	पुणेयाँ पूर्व	श्री राजीव राठौर (42बी0/14)	1867.45	2558406.5	प्रशासी पदाधिकारी, नगर विमानन शाखा, मंत्रिमण्डल सचिवालय, बिहार, पटना
पुणेयाँ	पुणेयाँ पूर्व	श्री राय निरंजन चौधरी (828/08)	1867.45	2558406.5	वरीय उप समाहर्ता, जमुई
पुणेयाँ	पुणेयाँ पूर्व	श्री राजेश गुप्ता (2378/99)	1867.45	2558406.5	राजस्व एवं भूमि संधार विभाग, बिहार, पटना
पुणेयाँ	रुपौली	श्री नवीन कुमार	495.9	679383	अनमण्डल पदाधिकारी, तारापुर (मुंगेर)
पुणेयाँ	रुपौली	श्री बीएन0 सिंह	495.9	679383	
पुणेयाँ	रुपौली	श्री विवेकानन्द झा	495.9	679383	उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
पुणेयाँ	रुपौली	श्री प्रभु दास (2301/99)	495.9	679383	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, सूर्यल
पुणेयाँ	श्रीनगर	श्री ब्रज किशोर ठाकुर	2120.83	2905537.1	
पुणेयाँ	श्रीनगर	श्री राजेश कुमार	2120.83	2905537.1	
पुणेयाँ	श्रीनगर	श्री विमल क० मंडल (787)	2120.83	2905537.1	अनमण्डल पदाधिकारी, सूर्यल
पुणेयाँ	श्रीनगर	श्री राजेश परिमल	2120.83	2905537.1	प्रशासी पदाधिकारी, जीविका, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार
पुणेयाँ	धमदाहा	श्री अजय क० ठाकुर (1702/99)	4722.09	6469263.30	आप्ल सचिव, मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना